लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/65/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 24.07.2019

श्रीमती जमना बाई पत्नि स्व. श्री चुन्नीलाल ओझा निवासी 33—ए, ब्रह्मपुरी, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 13.08.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.05.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी ने जरिये पत्रांक/रसद/सू.अ./2019/170 दिनांक 28.06.2019 से अपीलार्थीया को वांछित सूचना प्रेषित की गई। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 65/2019/(13.08)/304 दिनांक 24.07.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.08.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थीया को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.08.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थीया नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुई तथा न ही लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किए।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 65 / 2019 (सू.अ.)
श्रीमति जमना बाई ओझा निवासी चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थीया द्वारा श्री गिरधारी लाल ओझा पुत्र श्री रतन लाल ओझा पद वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी जो कि मार्च 1986 में जिला रसद कार्यालय में कार्यरत थे उनकी मार्च 1986 की उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यदि उक्त कर्मचारी माह मार्च 1986 में अवकाश पर रहे तो तो, उनके अवकाश प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में जरिये पत्रांक/रसद/सू.अ./2019/170 दिनांक 28.06.2019 से अपीलार्थीया को सूचित किया कि उक्त रेकार्ड 32 वर्ष पुराना होने से कार्यालय में संधारित नहीं होने से सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीया द्वारा वांछित सूचना सन् 1986 की होकर लगभग 33 वर्ष पुरानी है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8 की उप धारा 3 के अनुसार 20 वर्ष पुरानी कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिये लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीया खारीज की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त सूचना रेकार्ड ढूंढने पर उपलब्ध हो जावे तो अपीलार्थीया को उक्त सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावे।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./63/2019(सू.अ.)/366 दिनांकः– 13/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्रीमति जमना बाई ओझा निवासी 33-B, ब्रह्मपुरी, सैंती, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)